



2026:AHC:126661

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19346/2026

नाज़िम उर्फ़ गज़नी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : राजेश कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : जी0ए0

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. सूची की दोबारा पुकार की गई। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ए0जी0ए0 की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
3. यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 32/2026 धारा 318 (4), 345(3), 336 (3), 338, 340(2), 61 (2) (a) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-वेव सिटी, ज़िला-गाज़ियाबाद में ज़मानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के पास से किसी भी तरह की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। उन पर बस यही आरोप है कि उन्होंने दूसरे सह-आरोपियों के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाई थी, जिससे आरोपियों को लोहे की छड़ें चुराने में मदद मिलती थी। यह

बताया जाता है कि आरोपी आफताब उर्फ अफ़ज़ाल, जिसके पास से कथित चोरी का सामान और ट्रक बरामद हुआ था, उसे इस न्यायालय की एक बेंच ने 10.04.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11277/2026 में ज़मानत दे दी है। यह भी बताया जाता है कि सह-आरोपी श्रवण कुमार को भी विचारण न्यायालय ने ज़मानत दे दी है। यह भी बताया जाता है कि उसके दो मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है और वह इन मामलों में ज़मानत पर है। यह भी बताया जाता है कि आवेदक को पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदक 03.05.2026 से जेल में बंद है। यह भी कहा गया है कि यह अपराध फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इन हालात में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक को ज़मानत देने के अनुरोध का विरोध किया।

6. आवेदक के अधिवक्ता और ए0जी0ए0 की दलीलों पर विचार करने, एफआईआर और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी यह राय है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

7. आवेदक - **नाज़िम उर्फ़ गज़नी**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 1.00 लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि की दो ज़मानतें देनी होंगी, साथ ही उसे नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर शक है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 269 है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 (इसके बराबर बीएनएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174- ए (इसके बराबर बीएनएस की धारा 209) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 (इसके बराबर बीएनएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक का गैर-हाज़िर रहना जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार बन सकता है।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026